

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2016/ 1393

दिनांक:- 31/3/16

### कार्यालय आदेश

अरावली विहार योजना भिवाड़ी में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 71, अल्प आय वर्ग के 18 एवं मध्यम आय वर्ग-अ के 25 (जी+3) प्लेट का खुली ब्रिकी योजना द्वारा निष्पादित करने की अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम द्वारा अनुशंसा की है। निस्तारित किये जाने वाले प्लेटों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आय वर्ग	प्लेट संख्या	कुल आवास
1	EWS(GF)	10/66, 10/81, 10/114, 10/116, 10/147, 10/193, 10/228, 10/243, 10/388, 10/417, 10/435, 10/436, 10/452, 10/468, 10/516, 10/531, 10/626, 10/628, 10/675	19
2	EWS(FF)	10/8, 10/21, 10/72, 10/117, 10/120, 10/152, 10/184, 10/261, 10/264, 10/280, 10/311, 10/325, 10/392, 10/408, 10/439, 10/455, 10/469, 10/519, 10/534, 10/662, 10/677	21
3	EWS(SF)	10/10, 10/27, 10/74, 10/106, 10/137, 10/170, 10/185, 10/202, 10/217, 10/220, 10/235, 10/315, 10/361, 10/377, 10/394, 10/411, 10/425, 10/426, 10/442, 10/491, 10/506, 10/537, 10/539	23
4	EWS(TF)	10/189, 10/191, 10/192, 10/208, 10/287, 10/495, 10/525, 10/543	08
5	LIG (GF)	9/33, 9/115, 9/146, 9/163, 9/242,	05
6	LIG (FF)	9/21, 9/85, 9/183,	03
7	LIG (SF)	9/172, 9/250	02
8	LIG (TF)	9/77, 9/79, 9/112, 9/125, 9/159, 9/174, 9/192, 9/255	08
9	MIG-A (GF)	8/131, 8/145, 8/225,	03
10	MIG-A (FF)	8/05, 8/149, 8/182, 8/231, 8/263, 8/278	06
11	MIG-A (SF)	8/11, 8/140, 8/188, 8/202, 8/204, 8/266, 8/284, 8/298	08
12	MIG-A (TF)	8/13, 8/16, 8/176, 8/239, 8/240, 8/256, 8/272, 8/288,	08

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर निम्न शर्तों के आधार पर खुली ब्रिकी योजना से आवासों का निस्तारण करना सुनिश्चित करे :-

1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
  2. उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
  3. उक्त आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
  4. आवासों का निस्तारण खुली ब्रिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
  5. प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं उन्हे विधिवत निरस्त किया जा चुका है।
  6. आवेदकों द्वारा नकद/किराया कय पद्धति से आवेदन किये जाने की स्थिति में यदि दोनों पद्धति से आवेदन प्राप्त होते हैं तो नकद भुगतान पद्धति के आवेदक को वरियता दी जाये।
- उक्त आदेशों को नोट शीट पैरा संख्या 16/एन पर माननीय आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक-विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त -अलवर, रा0आ0म0 अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड भिवाड़ी, रा0आ0म0 जयपुर।
8. ✓ र्सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



**मुख्य सम्पदा प्रबंधक**